वारदात की फिराक में घूम रहे दो कुख्यात चोर गिरफ्तार

जयपुर। आदर्श नगर थाना पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए वारदात की फिराक में घूम रहे दो कुख्यात चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चार दिन पहले एसएमएस थाना क्षेत्र से चोरी हुई बाइक और एक अवैध धारदार छुरी बरामद की है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

डीसीपी पूर्व रंजिता शर्मा ने बताया कि आदर्श नगर थाना पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए वारदात की फिराक में घूम रहे सागर सैनी उर्फ मोंटी (30) निवासी गुर्जर की थड़ी, मानसरोवर हाल जवाहर नगर और वासु परसौमा (24) निवासी बजाज नगर हाल गुर्जर की थड़ी मानसरोवर को गिरफ्तार किया है। आरोपित सैनी उर्फ मोंटी खिलाफ मानसरोवर और रामनगरिया थानों में चोरी व अन्य अपराधों के 10 से अधिक मामले दर्ज हैं और दूसरे आरोपी वासु परसौमा के खोह नागोरियान, मालवीय नगर, ज्योति नगर, बजाज नगर, प्रताप नगर, शिवदासपुरा और महेश नगर थानों में चोरी के 8 से अधिक मामले दर्ज हैं।

पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी नशे के आदी हैं और अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। दोनों के खिलाफ जयपुर के विभिन्न थानों में चोरी सहित अन्य अपराधों के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी कई मामलों में वारंटी और स्थायी वारंटी भी हैं। पूछताछ में शहर में हुई अन्य चोरी की वारदातों के खुलासे की संभावना है।

फर्जी ऑनलाइन गोल्ड ट्रेडिंग वेबसाइट से 12 करोड़ रु. ठगने वाला एक और बदमाश गिरफ्तार

साइबर क्राइम पुलिस ने अब तक पांच आरोपी पकड़े, बैंक खाते में पहुंची 25 लाख की रकम से सुराग खुला

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। फर्जी ऑनलाइन गोल्ड ट्रेडिंग वेबसाइट के जरिए 12 करोड़ 9 लाख 65 हजार 512 रुपए की साइबर ठगी के मामले में राजस्थान पुलिस की स्टेट साइबर क्राइम थाना पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने भोपाल निवासी विशाल शर्मा को दिल्ली से गिरफ्तार किया। इस मामले में अब तक पांच आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

आरोपी विशाल शर्मा

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम विजय कुमार सिंह ने बताया कि आरोपियों ने फर्जी ऑनलाइन गोल्ड ट्रेडिंग वेबसाइट के जरिए परिवादी से 12.09 करोड़ रुपए से अधिक की रकम ठगी थी।

पुलिस के अनुसार 25 सितंबर 2025 को परिवादी के वाट्सऐप नंबर पर एक संदेश आया। इसमें वेबसाइट का लिंक भेजा गया था। वेबसाइट पर ऑनलाइन गोल्ड ट्रेडिंग और आकर्षक रिटर्न का प्रचार किया गया था। परिवादी ने वेबसाइट पर खाता बनाया और कथित ग्राहक सेवा के निर्देश पर अलग-अलग बैंक खातों में रकम जमा करना शुरू किया। गत 7 अक्टूबर से 4 नवंबर 2025 के बीच परिवादी ने करीब 6 करोड़ रुपए विभिन्न बैंक खातों में जमा किए। वेबसाइट के वर्चुअल वॉलेट में लाभ सहित करीब 9.42 करोड़ रुपए प्रदर्शित किए गए, जिससे परिवादी को लगा कि उसका निवेश लगातार बढ़ रहा है।

जब उसने 7 नवंबर को 5,02,84,784 रुपए निकालने का प्रयास किया तो आरोपियों ने आयकर प्रक्रिया, शुल्क और अन्य मदों के नाम पर अतिरिक्त रकम जमा करवानी शुरू कर दी। गत 10 से 26 नवंबर के बीच अलग-अलग शुल्क के नाम पर रकम जमा करवाकर आरोपियों ने कुल 12.09 करोड़ रुपए से अधिक हासिल कर लिए। इसके बाद न तो मूल रकम लौटाई गई और न ही उसे निकालने दिया गया। जांच के दौरान शुरुआती 20 लाभार्थी बैंक खातों के बैंक स्टेटमेंट, खाता खोलने के फॉर्म और केवाईसी रिकॉर्ड का विश्लेषण किया गया। मनी ट्रेल की जांच में सामने आया कि 29 अक्टूबर 2025 को ठगी की रकम में से 25 लाख रुपए विशाल शर्मा के बैंक ऑफ बड़ौदा खाते में जमा हुए थे। इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) के जरिए जांच करने पर पता चला कि विशाल शर्मा पहले से साइबर क्राइम वेस्ट दिल्ली के एक मामले में गिरफ्तार होकर तिहाड़ जेल में न्यायिक अभिरक्षा में था। पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट के जरिए उसे जयपुर लाकर न्यायालय में पेश किया और नियमानुसार गिरफ्तार किया।पुलिस पूछताछ में विशाल ने बताया कि जुलाई 2025 में उसकी पहचान अभिषेक नामक व्यक्ति से हुई थी। अभिषेक ने बैंक खाता खुलवाकर उसके इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराने के बदले 20 हजार रुपए कमीशन देने का प्रस्ताव दिया था।

आरोपी के अनुसार अभिषेक के निर्देश पर उसे लखनऊ के रास्ते नेपाल ले जाया गया, जहां उसकी मुलाकात रविकांत उर्फ रवि पांचाल और विरेन उर्फ बिट्टू से हुई। इस दौरान कुछ समय के लिए उसका मोबाइल फोन और सिम भी अन्य लोगों ने अपने पास रख लिया। बाद में उसे भोपाल भेज दिया गया और अभिषेक शर्मा ने उसे 10 हजार रुपए कमीशन दिया।

जांच में सामने आया कि विशाल के बैंक ऑफ बड़ौदा खाते का इस्तेमाल साइबर अपराध से संबंधित रकम के लेन-देन में हुआ। उसके खिलाफ पूर्व में हैदराबाद पुलिस भी कार्रवाई कर चुकी है। इसके अलावा 1 दिसंबर 2025 को साइबर पुलिस वेस्ट दिल्ली ने उसे गिरफ्तार किया था।

पुलिस अब वाट्सऐप रिकॉर्ड, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर), ग्राहक आवेदन फॉर्म (सीएएफ), पहचान दस्तावेज, इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड (आईपीडीआर) और बैंकिंग लेन-देन की मनी ट्रेल का तकनीकी विश्लेषण कर रही है। ठगी की रकम आगे किन-किन बैंक खातों में पहुंची और नेटवर्क में अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं, इसका पता लगाया जा रहा है।

यमुना जल परियोजना में हाइड्रोलॉजी व अंतर्राज्यीय स्वीकृतियां जारी हुईं

डी.पी.आर. अनुमोदन की राह आसान, एसपीवी का जल्द होगा गठन

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । राजस्थान के लिए महत्वाकांक्षी यमुना जल परियोजना के क्रियान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। परियोजना की डीपीआर के लिए आवश्यक हाइड्रोलॉजी एवं अंतरराज्यीय स्वीकृतियां जारी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में यमुना जल परियोजना की प्रगति की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसे राजस्थान के लिए बड़ी उपलब्धि और प्रदेश के जल संसाधन विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राजस्थान के लिए बड़ी उपलब्धि और प्रदेश के जल संसाधन विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे परियोजना के विभिन्न निर्माण कार्यों को गति मिलने के साथ ही राजस्थान में यमुना जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों को और मजबूती मिलेगी।बैठक में बताया गया कि 21 अगस्त, 2026 को नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय जल आयोग में यमुना जल परियोजना की डीपीआर की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने परियोजना के कंसल्टेंट नेबकॉन के विशेषज्ञों एवं विभागीय अधिकारियों को निरंतर समन्वय कर डीपीआर के अनुमोदन की प्रक्रिया को तेजी से बढ़ाने के निर्देश दिए।अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार ने बताया कि परियोजना के लिए हॉसियावास (चूरू) में प्रस्तावित तीन जलाशयों में से धनोटी जलाशय की निविदा जारी की जा चुकी है तथा इसकी तकनीकी निविदा 27 अगस्त को खोली जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रक्रिया को निर्धारित समय में पूरा करने एवं 29 जून 2026 को हुए एमओए के अनुसार एसपीवी के गठन के लिए प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) अखिल अरोड़ा सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

वन स्टेट-वन इलेक्शन जनता के लिए लाभकारी : मदन राठौड

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने वन स्टेट वन इलेक्शन के भाव से प्रदेश में हो रहे निकाय एवं पंचायती राज के चुनावो के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रशंसा करते हुए कहा कि बार-बार होने वाले चुनाव से ना केवल खर्च बढ़ता है बल्कि प्रशासनिक कामकाज में भी व्यवधान आता है जिससे लोक कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर भी असर पड़ता है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि बार बार चुनाव से सरकार एवं प्रशासनिक मशीनरी चुनाव कार्यो में व्यस्त हो जाती है और आचार संहिता की आड़ में विकास कार्य रुक जाते हैं जिसका सीधा नुकसान आम जनता को होता है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में विधि प्रकोष्ठ द्वारा निकाय चुनाव के लिए प्रकाशित मार्गदर्शिका पुस्तक का विमोचन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चुनाव लोकतान्त्रिक पर्व है और भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता लोकतंत्र का पहरेदार, इसलिए चुनाव चाहे पंचायत का हो या पार्लियामेंट का भाजपा का कार्यकर्ता सजगता से अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मतदाता मालिक होता है पर मतदाता को सही तथ्य और विपक्ष द्वारा दी जा रही गलत जानकारी से सनद करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। राठौड़ ने कहा कि युवा राजनीति में आगे आए, उनकी भागीदारी बढ़े, वे प्रशिक्षित हो और जन प्रतिनिधि बनकर लोक सेवा के मिशन में लगे इसके लिए भाजपा अपने युवा कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षित भी करती है और अवसर भी देती है। इस दौरान विमोचन कार्यक्रम में भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी, प्रदेश महामंत्री संगठन अजेय कुमार, प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सौरभ सारस्वत, सहसंयोजक भवानी सिंह राजावत मीडिया प्रभारी प्रमोद वशिष्ठ, सोशल मीडिया संयोजक हिरेन्द्र कौशिक सहित अनेक प्रमुख नेता उपस्थित थे।

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सजा

जयपुर । पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने क्रम-1 ने नाबालिग को डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार उर्फ धर्मा को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी विकास कुमार ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त के कृत्य से न केवल शारीरिक रूप से बल्कि पीडिता मानसिक रूप से भी दर्दनाक स्थिति में पहुंची है। ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मातादीन शर्मा ने अदालत को बताया कि पीडिता के पिता ने 25 जून, 2022 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया कि बीते करीब छह माह से अभियुक्त उसके घर दूध लेने आ रहा था। इस दौरान अभियुक्त ने उसकी नाबालिग बेटी के नहाते समय के अश्लील वीडियो बना लिए। जिन्हें वायरल करने का कहकर अभियुक्त ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को 21 अगस्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। वहीं अभियुक्त की ओर से कहा गया कि पीडित पक्ष ने उससे करीब तीन लाख रुपए उधार लिए थे। जब उसने रुपए मांगे तो पीडिता के पिता ने अपनी बेटी को ढाल बनाकर उसके खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।

दूध व खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में आरसीडीएफ ने हाईकोर्ट में जवाब पेश किया

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट में दूध और अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में चल रही सुनवाई के दौरान आरसीडीएफ की ओर से हाईकोर्ट में जवाब पेश किया गया। एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा और जस्टिस प्रमिल माथुर की खंडपीठ ने जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले की सुनवाई 16 सितंबर को रखी है। अदालत ने यह आदेश प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए।

- 'प्रतिदिन 400 लाख लीटर दूध असंगठित क्षेत्र के जरिए होता है वितरित : आरसीडीएफ

आरसीडीएफ की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता माही यादव ने जवाब में बताया कि प्रदेश में करीब एक हजार लाख लीटर दूध प्रतिदिन उत्पादित होता है। इसमें से करीब पांच सौ लाख लीटर दूध घरेलू स्तर पर खपत होता है और शेष बाजार में आता है। इसमें से करीब चार सौ लाख लीटर दूध प्रतिदिन असंगठित क्षेत्र के जरिए वितरित होता है। इसमें स्थानीय विक्रेता और निजी डेयरियां शामिल हैं। इसके मुकाबले संगठित क्षेत्र करीब सौ लाख लीटर दूध वितरित करता है। आरसीडीएफ स्वयं करीब 40 से 45 लाख लीटर दूध प्रतिदिन प्रोसेस करता है। फेडरेशन की ओर से बताया गया की दूध की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और मिलावट पकड़ने के लिए बहुस्तरीय जांच व्यवस्था है। दूध की जांच डेयरी सोसायटी, बल्क मिल्क कूलर, जिला प्रयोगशाला, उत्पाद स्तर और केन्द्रीय गुणवत्ता प्रयोगशाला में की जाती है। इसके साथ ही जिला प्रयोगशाला में एफटीआईआर आधारित तकनीक काम में ली जाती है। जिसमें पानी, यूरिया, डिटर्जेंट, स्टार्च और नमक सहित 22 तरह की मिलावट का पता लगाया जाता है। जयपुर की केन्द्रीय गुणवत्ता प्रयोगशाला में मेलामाइन, एंटीबायोटिक व कीटनाशक अवशेष सहित भारी धातुओं की भी जांच की जाती है। फेडरेशन ने कहा कि वह संगठित डेयरी क्षेत्र में काम करता है और पूरे प्रदेश के दूध बाजार पर उसका नियंत्रण नहीं है। ऐसे में मिलावट की व्यापक समस्या को देखते समय असंगठित क्षेत्र की भूमिका को भी ध्यान में रखना होगा। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने पशुपालन विभाग की ओर से जवाब पेश करने के समय मांगा। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 16 सितंबर को तय की है।

भर्ती के दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम जारी

जयपुर । कृषि विभाग ने सहायक कृषि अभियंता एवं कृषि अनुसंधान अधिकारी (कृषि रसायन) पदों पर भर्ती के अभ्यर्थियों की पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम जारी कर दिया है। सहायक कृषि अभियंता के 729 और कृषि अनुसंधान अधिकारी (कृषि रसायन) के 42, कुल 771 अभ्यर्थियों की पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन 2 से 10 सितंबर तक किया जाएगा।

अभ्यावेदन जांच में सही हो तो याचिकाकर्ताओं की वापस लें दक्षता परीक्षा : हाईकोर्ट

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट में एसआई, प्लाटून कमांडर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2025 में शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान कई जगह बारिश से मैदान व ट्रैक खराब होने से जुडे मामले में अदालती आदेश के पालन में जयपुर, भरतपुर व अजमेर सहित अन्य जगहों की वीडियोग्राफी पेश की गई। अदालत ने वीडियोग्राफी देखने के बाद अभ्यर्थियों से कहा है कि वे सात दिन में इस संबंध में अपना अभ्यावेदन दें। वहीं राज्य सरकार व एडीजी भर्ती व पदोन्नित बोर्ड को कहा है कि यदि जांच में उनका अभ्यावेदन सही पाया जाए तो आगामी 9 व 10 सितंबर को उनकी शारीरिक दक्षता परीक्षा वापस ली जाए। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश सीमा गुर्जर, योगिता व अन्य की याचिकाओं पर संयुक्त सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी व प्रेमचंद देवंदा ने बताया कि याचिकाकर्ताओं का शारीरिक दक्षता टेस्ट, सीआरपीएफ सेंटर अजमेर व जयपुर सहित अन्य जगहों पर हुआ था। टेस्ट के दौरान लगातार बारिश के कारण मैदान व रनिंग ट्रैक खराब हो गए थे। वहां पर पानी भरने से फिसलन बढ़ गई थी। इसके चले दौड़ और कूद के दौरान अभ्यर्थी को परेशानी हुई और चोट भी लगी। याचिकाकर्ताओं ने भर्ती एजेंसी को इस संबंध में अपना प्रतिवेदन भी दिया, लेकिन उसका निस्तारण नहीं किया गया। इसलिए उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा में एक और मौका दिया जाए। जिस पर अदालत ने भर्ती एजेंसी को इन जगहों की वीडियोग्राफी पेश करने के लिए कहा था।

- एसआई, प्लाटून कमांडर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2025 का मामला

मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए सतर्क रहें : चिकित्सा मंत्री

जयपुर । चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने मंगलवार को स्वास्थ्य भवन में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, स्क्रब टाइफस एवं स्वाइन फ्लू सहित मौसमी बीमारियों की रोकथाम एवं बचाव गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने हाई रिस्क क्षेत्रों में टीम बनाकर नियमित निगरानी करने तथा स्वाइन फ्लू को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए सघन मॉनिटरिंग के साथ जांच एवं उपचार सेवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। चिकित्सा संस्थानों में मरीजों के भार के अनुसार चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ की नियुक्ति की जाए। साथ ही फर्स्ट रेफरल यूनिट्स एवं ट्रोमा सेंटर्स में आवश्यक तीन चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

खींवसर ने चिकित्सा संस्थानों में आवश्यक जांच, दवाइयों एवं उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। जिन संस्थानों में सीटी-एमआरआई जांच सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं, वहां पीपीपी मोड पर सेवाएं शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्धारित प्रावधानों के अनुसार मानव संसाधन की स्थिति की रिपोर्ट तीन दिन में भेजने को कहा। बैठक में अतिरिक्त मिशन निदेशक एनएचएम डॉ. टी. शुभमंगला, निदेशक आरसीएच डॉ. मधु रतेश्वर, अतिरिक्त निदेशक अस्पताल प्रशासन डॉ. नरोत्तम शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सेतु एप, टीबी मुक्त भारत अभियान, एचपीवी टीकाकरण, शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पीसीटीएस प्रसव वॉच कार्यक्रम एवं आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन की भी समीक्षा की गई।

मोबाइल चोर गिरफ्तार

जयपुर। बगरू पुलिस ने मोबाइल स्नैचिंग की वारदात का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी हेमराज जाजोरिया (19) को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से छीना गया एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किया है।

नीलकंठ फर्टिलिटी के 9 केंद्रों के पंजीकरण निलंबित

जयपुर (कासं)। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने बताया कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (एआरटी) एवं सरोगेसी सेवाओं के नियमन में प्रथम दृष्टया उल्लंघन पाए जाने पर नीलकंठ फर्टिलिटी एंड वूमेन केयर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। संस्थान के अधीन संचालित एआरटी क्लिनिक, एआरटी बैंक एवं सरोगेसी क्लिनिक के कुल 9 पंजीकरण प्रमाण-पत्र तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक निलंबित किए गए हैं।

- भ्रूण को नीला दिखाने वाले विज्ञापन पर कार्रवाई

प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड ने बताया कि एआरटी (रेग्युलेशन) एक्ट, 2021 के प्रावधानों के उल्लंघन के तहत यह कार्रवाई की गई है। एक अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशित आईवीएफ, फर्टिलिटी एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के विज्ञापन में भ्रूण को नीले रंग में प्रदर्शित किया गया था, जिसे प्रथम दृष्टया लिंग चयन से संबंधित सेवा के प्रचार का संकेत माना गया।

उन्होंने बताया कि जयपुर में 3 तथा भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, जोधपुर और अजमेर में एक-एक सहित कुल 9 एआरटी/सरोगेसी सेंटरों के पंजीकरण निलंबित किए गए हैं। इनमें भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर, अजमेर और जोधपुर के एआरटी क्लिनिक लेवल-1, जयपुर के दो एआरटी क्लिनिक लेवल-2, एक सरोगेसी क्लिनिक तथा एआरटी बैंक शामिल है। राठौड ने कहा कि लिंग चयन एवं लिंग आधारित एआरटी प्रक्रियाओं पर पूर्ण वैधानिक प्रतिबंध है। प्रतिबंधित गतिविधियों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रचार को स्वीकार नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

बालिका सैनिक विद्यालयों के लिए 65.24 करोड़ रु. का अतिरिक्त बजट प्रस्ताव

जयपुर । प्रदेश में बालिका शिक्षा को मजबूत करने और बालिकाओं को सैन्य सेवाओं के अनुरूप तैयार करने के लिए बीकानेर एवं सीकर में संचालित बालिका सैनिक विद्यालयों को अत्याधुनिक सुविधाओं से विकसित किया जाएगा। शासन सचिवालय में स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यादव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में दोनों विद्यालयों के विकास को लेकर चर्चा हुई।

स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को समीक्षा बैठक हुई।

अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यादव ने दोनों विद्यालयों को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मॉडल के बजाय झुंझुनूं एवं चित्तौड़गढ़ सैनिक विद्यालयों की तर्ज पर विकसित करने के निर्देश दिए। इसके लिए कुल 65.24 करोड़ रुपये का संशोधित अतिरिक्त बजट प्रस्ताव तैयार किया गया है।प्रस्ताव में निर्माण एवं आधारभूत सुविधाओं के लिए 62.79 करोड़, आवश्यक सामग्री एवं आधुनिक आईसीटी उपकरणों के लिए 2.44 करोड़ तथा भोजन एवं दैनिक व्यवस्थाओं के लिए 1.27 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। विद्यालयों में आधुनिक छात्रावास, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशालाएं, कैंटीन, ऑडिटोरियम, स्मार्ट कक्षाएं, कंप्यूटर, प्रयोगशाला उपकरण और खेल सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

बीकानेर के विद्यालय में मल्टीपर्पज इनडोर गेम हॉल, वॉलीबॉल ग्राउंड, तीरंदाजी मैदान, सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट, सिंथेटिक ट्रैक तथा हॉकी एवं फुटबॉल के लिए ग्रीन टर्फ मैदान विकसित किए जाएंगे। दोनों विद्यालयों में प्रति विद्यालय 80 बालिकाओं की क्षमता वाले नए हॉस्टल सहित अन्य सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।

बैठक में विशिष्ट शासन सचिव स्कूल शिक्षा विश्वमोहन शर्मा, संयुक्त शासन सचिव वित्त प्रताप सिंह, संयुक्त शासन सचिव पीएचईडी सक्षम गौड़, डिप्टी कमिश्नर केजीबीवी सेल वर्षा मीणा सहित ऊर्जा, पंचायतीराज, जेवीवीएनएल एवं आरएसआरडीसी के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

400 पुलिसकर्मियों का स्वास्थ्य परीक्षण

जयपुर। पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य और कार्यक्षमता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से जयपुर पूर्व पुलिस की ओर से मंगलवार को पुलिस उपायुक्त कार्यालय के सभागार में निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। डीजीपी-आईजीपी पुलिस सम्मेलन-2024 की सिफारिश संख्या-12 की अनुपालना तथा सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के दो वर्षीय कार्यक्रमों के तहत आयोजित शिविर में 400 से अधिक पुलिसकर्मियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। शिविर का आयोजन पुलिस आयुक्तालय के सीएसआर साझेदार संस्थानों और मेट्रो मास हॉस्पिटल के सहयोग से किया गया।

नाम परिवर्तन

मेरी 10वीं, 12वीं की अंकतालिका में मेरा नाम Mohd Shoaib Khan S/o Mohd Ayub Khand है व सभी दस्तावेजों में मेरा नाम Mohammed Shoaib Khan है यह दोनों नाम मेरे ही हैं भविष्य में मुझे Mohammed Shoaib Khan S/o Mohammed Ayub के नाम से जाना पहचाना जाए।

I Kaushal resident of C,94, Behind IOC Petrol pump, Vaishali Nagar, Jaipur,302021 Raj., have changed my name from Kaushal to Kaushal Sharma Vide Affidavit No-CP982122, Dated 25.08.2026 Notary Public Jaipur Raj.

खोया पाया

मेरे प्लॉट नं. 13/1075 मालवीय नगर जयपुर का ओरिजनल डिक्लेरेशन लेटर, अदेय प्रमाण पत्र कहीं गुम हो गया है मिलने पर सूचित करें। राजेश झालानी, 9928001459

प्लॉट नम्बर 554-ए अशोक चौक आदर्श नगर जयपुर का असल विक्रय पत्र कहीं गुम हो गया है। जिस किसी को मिले सूचित करें। राजू गांगुली मो.-89543 35430

मेरा प्लॉट 1392, मूर्ति कला विहार जोन 17 रोजड़ा जयपुर का पट्टा कहीं खो गया है, रमेश चंद शर्मा 9784892676

आवास संख्या 5/397, मानसरोवर जयपुर का आवंटन, कब्जा एवं अदेय प्रमाण पत्र कहीं गिर/खो गया, मिलने पर सूचित करें, इन्द्रजीत, मोबाइल 9610571190

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री माधोलाल अग्रवाल पुत्र श्री भागीरथ अग्रवाल व मेरे अभिभाव्य गोपीचन्द अग्रवाल व शुभम गर्ग के नाम से युनियन बैंक आफ इण्डिया नवाब साहब की हवेली, त्रिपोलिया बाज़ार जयपुर मे एक लॉकर संख्या-22, सयुक्त नाम से ले रखा था। श्री माधोलाल जी का सन 2020 मे देहान्त हो गया उनकी पंजीबद्ध वसीयत दिनांक 30.12.2021 के अनुसार उनकी मृत्यु के बाद गोपीचन्द अग्रवाल व शुभम गर्ग को उक्त लॉकर संख्या-22 को आपरेट करने का अधिकार दिया गया था। यदि किसी व्यक्ति को मेरे अभिभाव्य द्वारा उक्त लॉकर को आपरेट करने मे कोई आपत्ति हो तो उक्त आपत्ति 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करे, अन्यथा मेरे अभिभाव्य गोपीचन्द अग्रवाल व शुभम गर्ग को उक्त लॉकर को आपरेट करने का पूर्ण अधिकार होगा। सूचित रहे।

जयपुर
दिनांक

भरत सिंह, एडवोकेट
मो.न. 9414050347

कार्यालय उपायुक्त, वैशाली नगर जोन, नगर निगम जयपुर

क्रमांक:एफ-() वै.न.जोन / ज.न.नि./2026/704 दिनांक-21/8/26

सार्वजनिक सूचना मूल भूखण्ड संख्या 56 नन्द विहार (माधव नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर) द्वारा श्रीमती मंजू शर्मा पत्नि श्री विष्णु प्रसाद शर्मा (मूल आवंटी-आवंटन पत्र क्रमांक 2688/ एल. दिनांक 11.03.1996 क्षेत्रफल 356.66 वर्गगज) का आवंटन जारी किया गया था। दिनांक 25.01.2002 श्रीमती मंजू शर्मा पत्नि श्री विष्णु प्रसाद शर्मा द्वारा श्री ललित कुमार सरावगी पुत्र श्री सोहन लाल सरावगी को जरिये पंजीकृत मुक्तयारनामा द्वारा मुक्तयार-आम किया गया। श्री 356.66 वर्गगज दिनांक 03.07.2003 श्री ललित कुमार सरावगी पुत्र श्री सोहन लाल सरावगी द्वारा उक्त वर्णित भूखण्ड का उत्तरी हिस्सा श्री 178.33 वर्गगज का बेचान श्री हर्ष सक्सेना पुत्र श्री भगवत नारायण सक्सेना को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र बेचान किया गया। दिनांक 02.05.2007 श्री हर्ष सक्सेना पुत्र श्री भगवत नारायण सक्सेना द्वारा 1. वीना सक्सेना पत्नी स्व श्री मुकेश कुमार सक्सेना 2. हिमांशु राय पुत्र स्व श्री मुकेश कुमार सक्सेना 3. प्रयास सक्सेना पुत्र स्व श्री मुकेश कुमार सक्सेना भूखण्ड संख्या 56 का उत्तरी भाग पूर्व मुखी क्षेत्रफल 178.33 वर्गगज का बेचान जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र किया गया। दिनांक 18.02.2024 को श्री मुकेश कुमार सक्सेना के मृत्यु पश्चात उनके वारिसो वीना सक्सेना (पत्नी), हिमांशु राय (पुत्र), प्रयास सक्सेना (पुत्र) द्वारा उक्त भूखण्ड के उत्तरी भाग श्री 178.33 वर्गगज का आवेदन किया गया। वर्तमान मे उक्त भूखण्ड का लीज डीड पट्टा श्रीमती वीना सक्सेना पत्नी स्व श्री मुकेश कुमार सक्सेना, हिमांशु राय पुत्र स्व श्री मुकेश कुमार सक्सेना, प्रयास सक्सेना पुत्र स्व श्री मुकेश कुमार सक्सेना के नाम से लीज डीड पट्टा जारी किया जाना है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत अण्डरटेकिंग, रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र एवं अन्य दस्तावेजो के आधार पर उक्त भूखण्ड का नगर निगम जयपुर द्वारा श्रीमती वीना सक्सेना पत्नी स्व श्री मुकेश कुमार सक्सेना, हिमांशु राय पुत्र स्व श्री मुकेश कुमार सक्सेना, प्रयास सक्सेना पुत्र स्व श्री मुकेश कुमार सक्सेना के नाम से लीज डीड पट्टा किया जाना है। इस लीज डीड पट्टा को जारी किये जाने बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस मे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त, वैशाली नगर जोन) मे प्रस्तुत करें, अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद नियमानुसार लीज डीड पट्टा जारी किये जाने की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी।

उपायुक्त, वैशाली नगर जोन, नगर निगम जयपुर

**नम्बर